न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 315/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. हुकमसिंह पत्र अमानसिंह 2. खीवसिंह पुत्र अमानसिंह 3. हरिसिंह पुत्र मोतीसिंह 4. गुलाबसिंह पुत्र मोतीसिंह 5. सवाईसिंह पुत्र दीपसिंह 6. उगमसिंह पुत्र दीपसिंह 7. भवानीसिंह पुत्र दीपसिंह 8. देवीसिंह पुत्र दीपसिंह 9. पन्नेसिंह पुत्र रामसिंह 10. तेजसिंह पुत्र मेघसिंह 11. प्रेमसिंह पुत्र आईदानसिंह जातियान राजपूत 12. बीजाराम पुत्र मगाराम 13. बाबूराम पुत्र किशनाराम 14. बुलाराम पुत्र किशनाराम 15. हमीराराम पुत्र हीराराम 16. राणाराम पुत्र हीराराम 17. स्वरूपाराम पुत्र मगाराम जातियान–दर्जी निवासीगण–मोतीसिंह नगर, डेरिया, तहसील सेखाला जिला जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर। 2. महिपालसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत 3. छगनकंवर पत्नी मनोहरसिंह राजपूत 4. रूकमादेवी पत्नी पेमाराम सुथार निवासीगण–मोतीसागर, चामू तहसील सेखाला, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनाक 17.11.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 141/2021 अनवान महिपाल सिंह वगैराह बनाम सरकार में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भवानीसिह भलासरिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री ए0आर0 बेनिवाल, अधिवक्ता रेस्पो.सं. 2, 3, 4 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 22 नवम्बर 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक ता तीन द्वारा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट का इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम मोतीसागर के ख0सं0 1317 रकबा 129.10 बीघा भूमि आई हुई है, मौके पर वे काबिज है। उक्त खसरान भूमि की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नहीं है, इस कारण से पक्षकारान को अपने–अपने खेतों की सीमा का सही ज्ञान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सीमाचिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाई जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि की पैमाइश पडौसी खातेदारों को सूचित कर उनके

सम्भागीय आयुक्त

पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र पेश किया तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि हम अपीलान्टस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के उपरोक्त ख0सं0 1317 के पडौसी ख0सं0 54, 39, 40 व 41 के खातेदार है जिन्हें बिना पक्षकार बनाये व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे वे व्यथित पक्षकार है जिसके कारण उन्हें अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। साथ ही अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्टस को पूर्व में नहीं होने तथा 16.6.2022 को नकल प्राप्त किये जाने पर हुई तब उनके द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की अतः अपील को अन्दर म्याद मानते हुए गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु निवेदन किया।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्टस को न तो पक्षकारा संस्थित किया गया है और न ही उक्त प्रकरण में जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया जबकि वे वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड पडौसी खातेदारान है। इसके अतिरिक्त ग्राम मोतीसिंह नगर डेरिया व मोतीसागर चामू की सरहद वक्त सेटलमेन्ट के स्थाई मुटाम कायम है तथा वहॉ पुरानी माठे, बडे–बडे पेड व पत्थरों की दीवार बनी हुई है जो वक्त सेटलमेन्ट के मुटाम कायम किये हुए है। दोनों ग्रामों की अलग–अलग माठ कायम है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की आड में पुरानी माठ जो सदियों से कायम है, उसे तोडना चाहते है व अपीलान्टस की भूमि पर अनावश्यक कब्जा करना चाहते है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि रेस्पोडेन्टस की लगभग 20 बीघा भूमि पडौसी खातेदारान के खातेदारी में आई हुई है जो डेरिया व मेरिया की सीमा में स्थित है और जो ग्राम डेरिया अंकित किया है वह अपीलान्टस का मूल गांव है और जो मेरिया लिखा है वह ख0सं0 1317 की सीमा लगती ही नहीं है उसके बावजूद भी झूठे तथ्य अंकित किये है, इससे स्पष्ट है कि बिना सेटलमेन्ट टीम बनाये, बिना कोई अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टस के द्वारा कभी भी पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया और न ही मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। ऐसे में धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के नियमों की

संभागीय आयुक्त

अपीलार्थीगण ख0सं0 1317 के पडौसी खातेदार है एवं उनके ख0सं0 54, 39, 40 41 है। रेस्पोडेन्टस द्वारा इन्हें भी पक्षकार संस्थित नहीं किया गया, मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार सेखाला को पक्षकार बनाया गया है। ऐसे में प्रभावित पक्षकार असंयोजन के कारण भी प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 के ग्राम पंचायत राजसागर में प्रकरण को रखा जाकर एक न्यायिक आदेश पारित नहीं कर एक प्रशासनिक आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्टस अपीलाधीन आदेश की आड में उनके खातेदारी वाले खसरान भूमि के अन्दर पत्थरगढी करवाना चाहते है जो बिना विधिक प्रकिया के विपरित पारित किया हुआ होने से निरस्त किया जावे। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे तथा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2021 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पो0 संख्या एक ता तीन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रत्युतर में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालाय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के द्वारा धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया ग्राम मोतीसागर के ख0सं0 1317 रकबा 129.10 बीघा भूमि आई हुई है, मौके पर वे काबिज है। उक्त खसरान भूमि की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नहीं है, इस कारण से पक्षकारान को अपने–अपने खेतों की सीमा का सही ज्ञान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सीमाचिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाई जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार से जवाब तलब किया। तहसीलदार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रशासन गांवों के अभियान, 2021 के तहत ग्राम पंचायत राजसागर, पं0स0 चामू में प्रकरण को रखते हुए रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया कि प्रार्थी अपने खेत की सीमाज्ञान कवाने व पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार रखता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ख0सं0 1317 रकबा 129.10 बीघा भूमि की पेमाइश हेतु तहसीलदार सेखाला को नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार, सेखाला राजस्व मण्डल अजमेर के नियमानुसार उक्त वादग्रस्त आराजी की पैमाइश पडौसी खातेदारों को सूचित कर पडोसी खातेदारो के रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करें। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस की अपील के अनुरूप ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलान्टस चाहे तो अपने उक्त आब्जेक्शन तहसीलदार सेखाला के द्वारा पत्थरगढी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

की कार्यवाही सम्पादित करने के दौरान उनके समक्ष रख सकते है जिससें अपीलाधीन आदेश की सही–सही पालना हो सके।

रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करते हुए तहसीलदार, सेखाला से जवाब तलब किया था और उसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा यह अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर पेश की गई है। अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु आदेश की जानकारी किस माध्यम से तथा किस दिन होने का अंकन नही किया है। ऐसे में प्रार्थना पत्र में कोई ठोस एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है। रेस्पोडेन्ट का उक्त खसरा संख्या 1317 ग्राम मोतीसागर चामू में ही अवस्थित है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील आधारहीन होने से तथा सारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी करने के पारित किये गये आदेश पूर्णत विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 17.11.2021 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि रेस्पो0 संख्या 2,3,4 की ओर से अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मोतीसागर तहसील सेखाला के ख0सं0 1317 रकबा 129.10 बीघा भूमि की सीमाचिन्हों से नाप कर पत्थरगढी करवाने बाबत निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 2, 3, 4 को स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि की पैमाइश हेतु तहसीलदार सेखाला को नियुक्त करते हुए राजस्व मण्डल अजमेर के नियमानुसार उक्त आराजी की पैमाइश पडौसी खातेदारों को सूचित कर पडौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में उक्त खसरान के पडौसी खातेदारान को सुनवाई का व अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का उल्लेख किया है जो अपीलाधीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं ठहरता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त खसरान भूमि के सम्बन्ध में पत्थरगढी कार्यवाही सम्पादित करने से पूर्व खसरान भूमि के सभी पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए उन सभी की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गये है, अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश की पालना में होने वाली कार्यवाही के दौरान उपस्थित रह सकते है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुजांइश नहीं है।

अतः उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने व विश्लेषण करने के उपरान्त

आयुक्त

अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2021 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर